

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.1(24)प्राशि/आयो./2015/

जयपुर, दिनांक: 01 फरवरी, 2017

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये चयन हेतु
दिशा निर्देश ।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 259 के उप-नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा क्रमांक: प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 के द्वारा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की जिलेवार/पंचायतवार सूची विभागीय वेबसाईट्स shiksha.rajasthan.gov.in, www.rajssa.nic.in एवं www.rajrmsa.nic.in पर उपलब्ध है।

पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(MTW /विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 08.11.2016 से ग्राम पंचायतों में 6000/- रुपये प्रतिमाह के नियत मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर एक वर्ष हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं (संलग्न परिशिष्ट 'क')। इस परिपत्र में पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4 ()MTW /विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 (संलग्न परिशिष्ट 'ख') के द्वारा संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत सहायक के कर्तव्यों एवं दायित्वों में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिये संपादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना भी सम्मिलित किया गया है। इसी परिपत्र से ग्राम पंचायत सहायक के चयन को ग्राम पंचायत के पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से



सम्बद्ध विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकारी समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है एवं चयन किये जाने की प्रक्रिया हेतु वांछित दिशा-निर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली जिला स्तरीय समिति के लिये निर्देश जारी करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(MTW)विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के क्रम में ग्राम पंचायत सहायको के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

1. पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(MTW) /विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायक का चयन ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय की SDMC की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा दिनांक 17.02.2017 को SDMC की कार्यकारी समिति की विशेष बैठक बुलाई जावेगी। बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा।
2. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-प्रथम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(MTW) /विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 08.11.2016 के परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की संख्या के आधार पर संलग्न परिशिष्ट-ग के प्रारूप के अनुसार सूचना/विज्ञप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 09.02.2017 से पूर्व प्रकाशित की जावेगी।
3. बिन्दु संख्या 2 की कार्यवाही के पश्चात् पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना/विज्ञप्ति संलग्न परिशिष्ट-घ के अनुसार दिनांक 10.02.2017 से पूर्व विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
4. ग्राम पंचायत सहायक हेतु अर्हतायें पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(MTW) /विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार होंगी।
5. आवेदक द्वारा परिशिष्ट-च पर संलग्न प्रारूप में अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज सम्बन्धित SDMC की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान) अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रातः 9.30 से सायं 3.40



बजे तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जावेगा। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।

6. ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन हेतु रुपये 100/- नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जावेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ रसीद संलग्न की जावेगी।
7. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ उसी जिले का निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी प्रमाण-पत्र एवं कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि हो तो) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
8. सभी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु दिनांक 17.02.2017 को दोपहर 10.00 बजे SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण की जायेगी। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से चयन के दिन सम्बन्धित विद्यालय में SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेजों सहित प्रातः 9:00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आवेदक के अनुपस्थित होने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। इस बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा।
9. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दिन ही समस्त चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित आवेदकों के नाम मय समस्त दस्तावेज संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किये जावेंगे।
10. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस (दिनांक 21.2.2017) को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव मय समस्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदित करवाये जाने की अनुशंसा हेतु निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा :-

(i)	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रथम -	अध्यक्ष
(ii)	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय -	सदस्य
(iii)	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रथम -	सदस्य
(iv)	संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी -	सदस्य सचिव

उपरोक्त कार्यवाही हेतु बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा-प्रथम/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में किया जावेगा।

11. उपरोक्त समिति द्वारा अनुशंसित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के समक्ष दिनांक 23.02.2017 तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुमोदन पश्चात् सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(MTW /विधि/पंचावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार औपचारिक आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध करावाया जावेगा। सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित सूची प्राप्त होने वाले दिन ही आदेश जारी किया जावेगा।
12. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा नहीं किए जाने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकारी समिति की पुनः बैठक आयोजित कर नये नाम प्रस्तावित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी तिथि का निर्धारण निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से किया जावेगा।
13. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, संभाग स्तर पर उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस कार्य में सम्बन्धित नोडल अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त सम्बन्धित को कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

यह दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते हैं।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(पृष्ठ संख्या 6 से 17 तक)

शासन सचिव 2/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्रा०शि० -स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. जिला कलक्टर - समस्त।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद -समस्त।
12. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
13. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
14. विकास अधिकारी - समस्त।
15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी - समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।


11/2/2012
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4()MTW /विधि/परावि/2016/832

जयपुर,दिनांक:08.11.2016

—: परिपत्र :-

विषय: ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने बाबत दिशा-निर्देश .

ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से विकास एवं अन्य कार्यों हेतु औसतन 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि प्रति पंचायत प्राप्त हो रही है। ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र एवं दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पंचायतों के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, भामाशाह योजना इत्यादि महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र एवं दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए पंचायतों में उपलब्ध स्टाफ अत्यन्त न्यून है।

अतः ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले अनुदान के समुचित उपयोग, सरपंच एवं ग्राम सेवक के विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थाई आधार पर "ग्राम पंचायत सहायक" के रूप में मानदेय पर कार्मिक लगाये जाने प्रस्तावित किये जा रहे हैं। प्रत्येक जिले की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के मध्यनजर वहाँ की ग्राम पंचायतों में लगाये जाने वाले ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या की अधिकतम सीमा का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है। ग्राम पंचायत सहायकों को 6000/- रुपये (अंके छः हजार रुपये) मासिक मानदेय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद में से किया जायेगा। इस हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि में प्रावधान किया जा चुका है। ग्राम पंचायत सहायकों को आगामी एक वर्ष हेतु लगाया जाना है। चयन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस पंचायत को आवंटित अनुदान राशि इन कार्मिकों के भुगतान हेतु पर्याप्त है। राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित अनुदान राशि पर्याप्त नहीं होने पर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से पहले मार्गदर्शन लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ग्राम पंचायत सहायकों के दायित्व एवं कर्तव्य -

ग्राम पंचायत सहायक पंचायत के सरपंच के दिशा-निर्देशों एवं नियंत्रण में उन्हें आवंटित किये जाने वाले सभी कार्य करेंगे। नियत समय एवं नियमित रूप से कार्यालय खुला रखना सुनिश्चित करेंगे। वे ग्राम पंचायत में आने वाले ग्रामीण जन की समस्याओं को सुनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे व निरक्षर व्यक्ति होने पर आवेदक की ओर से नियमानुसार प्रार्थना पत्र तैयार करने में ग्रामीण जन का सहयोग करेंगे। पंचायत सहायक ग्रामीण जन को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। वे स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय योगदान कर पंचायत के नागरिकों को प्रेरित करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों पर मस्टर रोल पढ़ाना/एकत्रित करना व कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। कार्यों एवं दायित्वों की यह सूची अन्तिम नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा निर्देशित समस्त राजकीय

कार्यों में ग्राम पंचायत सहायकों का सहयोग लिया जा सकता है। राजकीय कार्य से आवश्यक होने पर ग्राम पंचायत सहायक द्वारा यात्रा करने पर यात्रा का वास्तविक व्यय मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

ग्राम पंचायत सहायक हेतु अर्हताएँ –

1. आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सैकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए।
3. आवेदक का जिस ग्राम पंचायत हेतु चयन किया जा रहा है, से संबंधित पंचायत समिति का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत सहायक का पृथक्करण :-

- (अ) यदि ग्राम पंचायत सहायक दुराचरण का दोषी पाया जाता है अथवा न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर उसे मानदेय से पृथक किया जा सकेगा।
- (ब) ग्राम पंचायत सहायक के कार्य में लापरवाही, शिथिलता अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता करने का दोषी पाये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उसे हटाया जा सकेगा। ऐसा करने से पूर्व आरोपित ग्राम पंचायत सहायक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अवश्य दिया जायेगा।
- (स) ग्राम पंचायत सहायक के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर भी उसे हटाया जा सकेगा।
- (द) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सहायक की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये भी उसे हटाया जा सकता है।


चयन की प्रक्रिया --

- ग्राम पंचायत सहायकों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में किया जायेगा। आवेदक अपना आवेदन परिशिष्ट-2 पर दिये प्रारूप एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के दिन प्रातः 10:30 बजे तक राग्वन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को प्रस्तुत कर सकेंगे। एक अभ्यर्थी एक ग्राम पंचायत में ही आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक स्थान पर आवेदन करना पाये जाने पर दोनों/सभी स्थानों के आवेदन रद्द समझे जायेंगे।
- आवेदक के उसी पंचायत समिति का निवासी होने का प्रमाण भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- एक निर्धारित दिवस पर समस्त राज्य में एक साथ ग्राम सभाओं को आयोजित कर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। चयन हेतु आवेदक का उस ग्राम सभा में व्यक्तिगत उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसमें उसने आवेदन किया है।
- संबंधित विकास अधिकारी द्वारा अपनी पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में आवश्यक सहायकों की 'चयन योग्य' संख्या का विवरण एक साथ एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चयन हेतु रिक्तियों का एवं ग्राम सभा की दिनांक का प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगी। ग्राम पंचायत अपने स्थानीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत सहायकों

के चयन हेतु आयोजित की जा रही ग्राम सभा बाबत व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगी।

- ग्राम पंचायत द्वारा समस्त चयन की प्रक्रिया ग्राम सभा के दिन ही पूर्ण कर उसी दिन चयनित आवेदकों के नाम अनुमोदन हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रेषित करने होंगे। जिला परिषद में अगले कार्य दिवस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी तथा एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी की समिति संबंधित पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में हुए चयन का अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन के पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आदेश जारी किये जा सकेंगे। समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की दशा में पुनः ग्राम सभा आयोजित की जाकर नये नाम प्रस्तावित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:उपरोक्तानुसार।


(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना।
7. जिला कलेक्टर - समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद -समस्त।
9. विकास अधिकारी - समस्त।
10. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-1

जिलेवार/पंचायतवार नियोजित किये जाने वाले ग्राम पंचायत सहायकों की अधिकतम स्वीकृत संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	प्रति ग्राम पंचायत प्रस्तावित पद	विशेष विवरण
1.	अजमेर	3	
2.	अलवर	2	
3.	बारां	3	
4.	बांसवाडा	3	
5.	बाडमेर	3	
6.	भरतपुर	2	
7.	भीलवाडा	4	
8.	बीकानेर	2	
9.	बून्दी	3	
10.	चित्तौडगढ़	4	
11.	चूरु	2	
12.	दौसा	2	
13.	धोलपुर	3	
14.	डूंगरपुर	3	
15.	गंगानगर	2	
16.	हनुमानगढ़	2	
17.	जयपुर	2	
18.	जैसलमेर	3	
19.	जालोर	4	
20.	झालावाड	4	
21.	झुंझुनू	2	
22.	जोधपुर	3	
23.	कोटा	3	
24.	नागौर	3	
25.	पाली	3	
26.	राजसमन्द	4	
27.	सवाईमाधोपुर	2	
28.	सीकर	2	
29.	सिरोही	3	
30.	टोंक	3	
31.	उदयपुर	3	
32.	करौली	2	
33.	प्रतापगढ़	3	

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4()MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 68

जयपुर, दिनांक: 27.1.2017

--: परिपत्र :-

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने बाबत दिशा-निर्देश ।
प्रसंग :- विभागीय परिपत्र क्रमांक 832 दिनांक 8.11.2016 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के जरिये ग्राम पंचायतों के विभिन्न कार्यों में सहयोग किये जाने के लिए एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थाई आधार पर "ग्राम पंचायत सहायक" के रूप में मानदेय पर कार्मिक लगाये जाने की विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए थे ।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ.4(2)पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 2.10.2010 द्वारा पांच विभागों से संबंधित कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जा चुके हैं ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, की क्रियावित हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.01.2017 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 258 के उप-नियम(1) में (ड) पदेन अधिकारी: (i) पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ।" का प्रावधान किया गया है । उक्त नियमों के नियम 259(9) के प्रावधानानुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पंचायत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संपादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य भी ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किया जायेगा ।

अतः प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 8.11.2016 को निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं के अनुसार इस प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

चयन की प्रक्रिया:-

- ग्राम पंचायत सहायक का चयन संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिस विद्यालय के संस्थाप्रधान हैं उस विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC) की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा ।


- b. उपरोक्त बिन्दु सं० a के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा चयन किये जाने की प्रक्रिया हेतु वांछित दिशा-निर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ गठित किये जाने वाली जिला स्तरीय समिति के लिए निर्देश पृथक से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे ।
- c. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।
- d. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत सहायक को समेकित मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई रूप से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नियोजन हेतु लगाया जायेगा । जिसके लिए औपचारिक पत्र ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव द्वारा सूची प्राप्त होने वाले दिन ही जारी किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत सहायक को रुपये 6,000/- मासिक मानदेय राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा ।
- e. उपरोक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा नहीं किए जाने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित "पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की कार्यकारी समिति की पुनः बैठक आयोजित कर नये नाम प्रस्तावित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम पंचायत सहायकों के दायित्व एवं कर्तव्य:-

ग्राम पंचायत सहायक पूर्व परिपत्र दिनांक 08.11.2016 में वर्णित कार्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से संबंधित कार्य करेंगे तथा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सहयोग करेंगे ।

ग्राम पंचायत सहायक हेतु अर्हतायें:-


1. आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सेकेण्डरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
2. आवेदक का जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस जिले का निवासी होना आवश्यक है ।


 शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग (स्वतंत्र प्रभार) ।
4. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना ।
9. जिला कलेक्टर - समस्त ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - समस्त ।
11. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त ।
12. विकास अधिकारी - समस्त ।
13. आदेश पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला

क्रमांक:

दिनांक

सूचना

पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.4(MTW /विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 8.11.2016 के अनुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को समेकित मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर एक वर्ष के लिये नियोजित किये जाने वाले ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से संबद्ध विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2017 को (प्रातः 10 बजे) आयोजित की जायेगी। जिलेवार/ग्राम पंचायतवार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बद्ध विद्यालय तथा इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट shiksha.rajasthan.gov.in, www.rajssa.nic.in एवं www.rajrmsa.nic.in पर उपलब्ध हैं।

..... जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में (अक्षरे) ग्राम पंचायत सहायकों के चयन हेतु आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 10.02.2017 से पूर्व प्रदर्शित (चस्पा) कर दी जायेगी।

इच्छुक आवेदक संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान (अध्यक्ष SDMC) से आवेदन पत्र प्राप्त कर, दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रातः 9.30 से सांय 3.40 बजे तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जिला



परिशिष्ट- "घ"

कार्यालय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)
(विद्यालय का नाम मय ग्राम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिले का नाम)

क्रमांक:

दिनांक:

सूचना

1. जिले की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के लिए रूपये 6000/- मासिक मानदेय पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर एक वर्ष के लिए (संख्या) ग्राम पंचायत सहायक नियोजित किये जाने हेतु चयन किया जाना है। इस हेतु आवेदक की न्यूनतम अर्हतायें निम्नानुसार हैं:-
 - (i) आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सैकण्डरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - (ii) आवेदक का जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस जिले का निवासी होना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक द्वारा रूपये 100/- नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जाकर विद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज संस्था प्रधान अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रातः 9.30 से सांय 3.40 बजे तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जावेगा। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।
3. आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-
 - (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
 - (ii) आयु संबंधी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।



- (iii) कार्य करने का सक्षम स्तर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित), यदि कोई हो तो।
- (iv) जिले का निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
- (v) आवेदन शुल्क की रसीद।
4. ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु दिनांक 17.02.2017 को प्रातः 10.00 बजे SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया सम्पादित की जावेगी। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से चयन के दिन प्रातः 9.00 बजे विद्यालय में साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। आवेदक के अनुपस्थित होने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. ग्राम पंचायत सहायक के चयन पर अंतिम निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा- प्रथम की अध्यक्षता में गठित समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष,
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति(SDMC)
(विद्यालय का नाम मय ग्राम, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति एवं जिले का नाम)



समेकित मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर ग्राम पंचायत सहायक
के नियोजन हेतु आवेदन पत्र

जिला :
पंचायत समिति :
ग्राम पंचायत :

आवेदक का फोटो
(स्वप्रमाणित)

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी :
से सम्बद्ध विद्यालय का नाम :

आवेदक का नाम :

आवेदक के पिता का नाम :

आवेदक का पता :
.....

आवेदक की जन्म तिथि: (शब्दों में) :
(अंकों में) :

आवेदन के दिन आयु (वर्ष माह दिन)

शैक्षणिक योग्यता : 1.....

2.....

3.....

अन्य कोई योग्यता (यदि कोई हो तो) :

कार्य का अनुभव :

शुल्क का विवरण :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मो. नं.

e-mail



शपथ

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनायें एवं संलग्न दस्तावेज सही है। मेरे द्वारा दी गई सूचनायें एवं दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

शपथगृहीता

संलग्न:-

1. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
2. आयु संबंधी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
3. कार्य करने का सक्षम स्तर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
4. जिले का निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
5. आवेदन शुल्क की रसीद।

नोट:- ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकारी समिति की दिनांक 17.02.2017 को आयोजित बैठक में आवेदक को प्रातः 9 बजे उपरोक्त वर्णित मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिशः उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

